# कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## दिशा–निर्देश

कृपया वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये अनुदान संख्या–15 के अधीन संचालित भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि0यो0) अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 15/2022/133/सैंतीस–2–2022–1(44)/2017 दिनांक 24 फरवरी,2022 द्वारा विभिन्न मानक मदों में धनराशि रू0–6274 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके क्रम में वित्त नियंत्रक प्रधान कार्यालय के आवंटन पत्र संख्या 2420/बजट/29(5)/अनु0–15/ 32/2021–22 दिनांक 2–3–2022 द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त धनराशि रू0–62.74 लाख का आवंटन किया जा चुका है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त आवंटित धनराशि का योजनान्तर्गत निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये व्यय करना सुनिश्चित करेः–

1– शासनादेश दिनांक 24 फरवरी,2022 तथा वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांक 2–3–2022 द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

2– योजना में आवंटित धनराशि का व्यय योजना में उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा,यदि जिला योजनान्तर्गत परिव्यय स्वीकृत नही है तो जिला योजना समिति से परिव्यय स्वीकृति कराने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का व्यय किया जाय, अधिक व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।

3– आवंटित धनराशि का व्यय योजना के निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही किया जाय।

4– मानक मद 39 मद में आवंटित धनराशि का व्यय विशेषज्ञ क्रय समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही दवाओं/उपकरण आदि का क्रय किया जाय।अनुमोदित सूची के बाहर से क्रय करने हेतु गठित विशेषज्ञ क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।

5– मानक मद–40 एवं 42 मद में आवंटित धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री जेम पोटल/विभागीय मानकों का अनुपालन करते हुये व्यय किया जाय।

6– योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक बिड/कोटेशन आमंत्रित नही किये जायेगें।

7– मानक मद–43 मद में आवंटित धनराशि से प्रक्षेत्र पर ब्रीडिंग स्टाक पूर्ण करने एवं अशंदान पर वितरण हेतु पशुओं का क्रय/अथवा राशन आदि का क्रय किया जायेगा।

8– प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध मादा भेड़ों में ''इनब्रीडिंग'' से बचने हेतु अन्य प्रक्षेत्रों से नर मेढ़ों का क्रय किया जाय। जिससे इनब्रीडिंग से बचा जा सके। यदि पैरेन्ट स्टाक में प्रजनन योग्य नर/मादा न हो तो उनके विचयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे, साथ ही उसके स्थान पर नया पैरेन्ट स्टाक(नर/मादा)का क्रय किया जाय। जिसके लिये अपना मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

9– मानक मद–29 मद में आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्या–ए–2–1092/दस–2011–24(7)/95 दिनांक 25 नवम्बर,2011 के विवरण पत्र XVII के बिन्दु संख्या–17 में निहित प्राविधानों एवं निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जाय तथा **(भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र/मेढ़ा केन्द्र के अनुरक्षण (मरम्मत) कार्य)** अनुरक्षण से कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये उसका आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा उसकी एक प्रमाणित छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

10– योजनान्तर्गत आवंटित की गयी धनराशि को तत्काल व्यय करते हुये दिनांक 25–3–2022 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाली धनराशि उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जाय। उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशों से इतर व्यय करना वित्तीय अनियमितता होगी, योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की धनराशि की वसूली नियमानुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारी से की जायेगी।

ह0/-

(डा0 जीवन दत्त)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्याः ९५। /प0–1/9ख/भेड़ प्रजनन सुविधा/1/2021–22 दिनांकः ५-३-२०२२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– **परियोजना निदेशक,** वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौड़ा नौगढ़ चन्दौली।

.............2/–

2– **प्रक्षेत्र अधीक्षक,** राजकीय भेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा उरई जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि राजकीय भेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा उरई जालौन हेतु आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष अपना मांग पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जालौन को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

3– **मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जालौन** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि राजकीय भेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा उरई जालौन को आवंटित की गयी धनराशि का आहरण प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय भेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा उरई जालौन द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करे।

3– **मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,** आगरा, मैनपुरी, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, झांसी, जालौन, ललितपुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, शामली, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, तथा कानपुर नगर।

4– **मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) प्रयागराज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद प्रयागराज हेतु आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष अपना मांग पत्र अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

5– **अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद प्रयागराज को आवंटित की गयी धनराशि का आहरण मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करे।

6– **मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) वाराणसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद भदोही हेतु आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष अपना मांग पत्र मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भदोही को उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

7– **मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, भदोही** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जनपद भदोही को आवंटित की गयी धनराशि का आहरण मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) वाराणसी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करे।

8– **उप निदेशक,** प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।

9– **मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2,** पशुपालन विभाग, आगरा, आजमगढ़, वाराणसी, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, सहारनपुर तथा मिर्जापुर।

10– वित्त नियंत्रक, प्रधान कार्यालय।

11– **अनु सचिव,** पशुधन अनुभाग–2, उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ।

12– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाईजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त दिशा–निर्देश को विभागीय बेवसाईट पर डालना सुनिश्चित करे।

**(डा0 जीवन दत्त)**
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।